[2021] 6 एस.सी. आर 535

श्री साई आर.आर.इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी

बनाम

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय और एकअन्य

(2021 की रिट याचिका (सी) No.446)

06 जुलाई, 2021

[न्यायमूर्ति आर**.** एफ**.**नरीमन**, न्यायमूर्ति** के**.** एम**.** जोसेफ और **न्यायमूर्ति** बी**.** आर**.** गवई**]**

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानःफार्मेसी कॉलेज-रिटयाचिकाओंद्वारानिर्देशकी मांग है कि प्रत्यर्थी नं.1-विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 19.03.2021 अधिसूचना का पालन करेगा और शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए याचिकाकर्ता-महाविद्यालयों को सशर्त संबद्धता प्रदान करेगा; विश्वविद्यालय को शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए बी. फार्मा छात्रों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने और याचिकाकर्ता-महाविद्यालयों के छात्रों को विशेष परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश-आयोजितःदोनों रिट याचिकाओं के तथ्य लगभग डब्ल्यू. पी. (सिविल) संख्या 390/2021 में तथ्यों के समान हैं। जो इस अदालत द्वारा याचिकाकर्ता-कॉलेज के पक्ष में 15.04.2021 पर तय किया गया था-इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ता भी उसी निर्णय की राहत हकदार हैं जो निर्णय डब्ल्यू. पी. (सिविल) संख्या 390/2021 - विश्वविद्यालय को शैक्षणिक वर्ष के लिए याचिकाकर्ता-कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है ताकि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष परीक्षाओं में दिया गया था बी. फार्मा छात्र भाग ले सके।

VIIT फार्मेसी कॉलेज और एक अन्य बनाम डॉ. ए. पी. जे.अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय और एक अन्य 2021 एस.सी.सी.पर निर्भर।

ऑनलाइन एस**.**सी**.**

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सी) संख्या 446 की2021

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

2021 की लिखित याचिका (सिविल) No.448

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजीत शर्मा, अनंत राम मिश्रा, ऋषभ शर्मा, अभिषेक राणा, सुशील शर्मा, सुश्री अनामिका अग्रवाल, अजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए।

अमितेश कुमार, सुश्री बिनिसा मोहंती, सुश्री प्रीति कुमारी, मृत्युंजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया ।

बी**.**आर**.**गवई**,** जे**.**

1. याचिकाकर्ता-कॉलेजों द्वारा दायर ये दोनों रिट याचिकाएं विभिन्न निर्देशों की मांग करती हैं, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1-डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (इसके बाद "विश्वविद्यालय"के रूप में संदर्भित) को निर्देश शामिल हैं। अर्थात्, राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 19.3.2021 अधिसूचना का पालन करना और याचिकाकर्ता-शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए कॉलेजों को सशर्त संबद्धता प्रदान करना; विश्वविद्यालय को निर्देश देना कि वह दिनांक 19.3.2021 की उपरोक्त अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए बी. फार्मा छात्रों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करे; और विश्वविद्यालय को निर्देश देना कि याचिकाकर्ता-कॉलेजों के छात्रों को विशेष परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

2. याचिकाकर्ता-कॉलेजों का यह तर्क है कि वर्तमान रिट याचिकाओं के तथ्य 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 390 (VIIT फार्मेसी कॉलेज और एक अन्य बनाम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय और एक अन्य)[1] के तथ्यों के समान हैं। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय और एक अन्य) के तथ्यों के समान हैं, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.4.2021 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी।

3. जहां तक रिट याचिका (सिविल) संख्या 390/2021 का संबंध है, विश्वविद्यालय ने इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं किया है कि वर्तमान रिट याचिकाओं में तथ्य 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 390 के समान हैं।हालाँकि, यह विश्वविद्यालय का तर्क़ हैकि, जिसे पहली बार 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 448 (श्री बद्रीनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी बनाम। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय और ए. एन. आर.) ने कहा कि याचिकाकर्ता-श्री बद्रीनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने परामर्श प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और इस तरह, किसी भी राहत का हकदार नहीं है।एक अन्य आधार जो लिया गया है, वह यह है कि उसी राहत के संबंध में याचिकाकर्ता-श्री बद्रीनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा दायर उच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह की एक रिट याचिका लंबित है।

4. हम पाते हैं कि दोनों वर्तमान रिट याचिकाओं के तथ्य 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 390 के तथ्यों के लगभग समान हैं।श्री साई आर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बनाम डॉ. ए. पी. जे.अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय [बी. आर. गवई, जे.]इस न्यायालय द्वारा

---

1 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 322

15.4.2021 दोनों ही मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई थी।

5. यह भीविवादित में नहीं है कि राज्य सरकार ने दिनाँक 19.03.2021 की अधिसूचना के अनुसार संबद्धता समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद 2020 की रिट याचिका में पारित उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बी. फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता-कॉलेजों को सशर्त संबद्धता प्रदान की है।

6. याचिकाकर्ता-कॉलेजों द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गई हैं क्योंकि विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता-कॉलेजों को संबद्धता देने और उनके छात्रों को प्रथम वर्ष बी. फार्मा परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

7. इस न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 390/2021 को स्वीकार करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की हैः

"9. डॉ.एस.के. तोशीवाल एजुकेशनल ट्रस्ट्स विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने इसके अंतर्गत कहा है कि:-

"87. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से जहाँ तक फार्मेसी शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता का संबंध है, फार्मेसी अधिनियम, 1948 प्रबल होगा। फार्मेसी

अधिनियम के तहत पी. सी.आई. और अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानदंडों और विनियमों का पालन फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमा के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले संबंधित संस्थानों द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें छात्रों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि और/या कमी के संबंध में मानदंड और विनियम शामिल हैं और पी. सी.आई. के निर्णयों का पालन केवल फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थान ही करेंगे। प्रश्नों का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।"

10. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, पीसीआई ने दोनों याचिकाकर्ताओं को 10 अप्रैल 2020 के आदेश के माध्यम से क्रमशः 100 और 60 प्रवेश/छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ मंजूरी दे दी है।इतना ही नहीं, राज्य सरकार के 15 मई 2020 के नीतिगत फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2020 के फैसले और आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई है। निर्विवाद रूप से, राज्य सरकार ने 19 मार्च 2021 की अधिसूचना के माध्यम से भी संबद्धता समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद सशर्त संबद्धता प्रदान की है।मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा हलफनामे पर किए गए कथन, प्रत्यर्थी द्वारा विवादित नहीं हैं, हम पाते हैं कि याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए।"

8. जैसा कि उपरोक्त मामले में दिनांक 15.4.2021 के आदेश द्वारा तय किया गया है, वर्तमान मामले में भी भारतीय फार्मेसी परिषद (PCI) द्वारा 10.4.2021 पर दोनों

याचिकाकर्ता-60 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के दिनांक 15.5.2020 के नीतिगत निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी दायर की हैं और इन्हें उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2.11.2020 और 10.11.2020 के निर्णयों और आदेशों द्वारा अनुमति दी गई है।वर्तमान मामले में भी, राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 19.3.2021 के माध्यम से संबद्धता समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद सशर्त संबद्धता प्रदान की है।

9. मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष रूप से यह पाते हुए कि दोनों वर्तमान मामलों में तथ्य 2021 की रिट याचिका (दीवानी) संख्या 390 के तथ्यों लगभग समान हैं, हमारा विचार है कि वर्तमान याचिकाकर्ता भी उसी राहत के हकदार हैं जो इस न्यायालय द्वारा 2021 की रिट याचिका (दीवानी) संख्या 390 में दी गई है।

10. इसलिए हम निम्नलिखित याचिकाओं को निम्न स्तर पर अनुमति देने के लिए इच्छुक हैंऔर निर्देश देते हैं कि विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता महाविद्यालयों को शैक्षणिक वर्ष के लिए संबद्धता प्रदान करें और याचिकाकर्ता-महाविद्यालयों के छात्रों को 19 मार्च 2021 की अधिसूचना को देखते हुए शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली विशेष परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दें ।

11. रिट याचिकाओं को उपरोक्त शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है है।

लेखन याचिकाओं की अनुमति दी गई।